

आयालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प खण्डेलासर

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम ~~खण्डेलासर~~ ^{खुनाभुजा} तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् ~~2076-77~~ ²⁰¹⁶⁻¹⁷ में खाता संख्या 54 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क.स.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	खण्डेलासर ^{खुनाभुजा} प.ह. खण्डेलासर	खाता संख्या - 54	गोपाल पुश खुखाराम	रामगोपाल पुश खुखाराम वर्ध कारण के आदेश डिग पाते है। जिले की न्यायालय का स्वगत आदेश न है ही वर्ध करे

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

(राजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 2.12.2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 674

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर